

Notes for claiming Australian Age Pension

Social Security Agreement between Australia and the Republic of India

ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए टिप्पणियाँ

ऑस्ट्रेलिया और भारत गणराज्य के बीच सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) समझौता

To read these instructions in Hindi go to page 10

इन निर्देशों को हिन्दी में पढ़ने के लिए पृष्ठ 10 पर जाएँ

1

When to use this form

Use this form to claim an Australian Age Pension.

For more information

Call Services Australia, International Services direct (free of charge) on **000 800 61 01098**. You can call us between 8.00 am and 5.00 pm (Hobart Time), Monday to Friday.

This service may not be available from all locations in India. If this service is not available call us on **+61 3 6222 3455**.

Note: Call charges apply – calls from mobile phones may be charged at a higher rate.

You can write to us by:

- mail at: **Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
AUSTRALIA**
- fax to: **+61 3 6222 2799**

Please include your phone number (including country and area code), so we can quickly respond to your query.

Information online – If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website **servicesaustralia.gov.au**

Please keep (Part 1) Notes for claiming Australian Age Pension, pages 1 to 18, for your future reference.

Forms in your claim pack

In your claim, you should have the following forms:

PART 1 Notes for claiming Australian Age Pension

The form that you are reading will provide you with important information about claiming, your rights and obligations.

You should read this information and keep it for future reference.

PART 2 *Claim for Australian Age Pension*

You and your partner (if you have one) must answer ALL questions in the claim form.

Mod(iA) *Income and assets*

You and your partner (if you have one) must answer ALL questions in the Income and assets form.

Important Note: You must return your claim form and **all** supporting documents and lodge them at the same time with your claim form. If you do not return all documents, your claim may not be accepted. The only exceptions will be if you are waiting for medical evidence or statements and other forms from a third party.

Your partner

Services Australia recognises both same-sex and opposite-sex relationships. This includes relationships registered under Australian state or territory laws or the laws of other countries or regions.

You must answer all questions and provide all requested information about your partner, whether same-sex or opposite-sex, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian Pension.

Your partner (if you have one) can also use this claim form if they want to claim an Australian Pension. Complete question 2 in PART 2 and ensure that all questions are answered by your partner as well as yourself.

To claim an Australian pension

Call us between 8.00 am and 5.00 pm (Hobart Time), Monday to Friday.

Tell us you wish to claim an Australian pension and our staff will provide you with advice on the best way for you to proceed with your claim for an Australian pension.

You can contact us by telephone, post or fax.

Filling in this form

Please use black or blue pen.

Print in BLOCK LETTERS.

Mark boxes like this with a tick ✓ or ✗.

When you see a box like this ► **Go to 5** skip to the question number shown. You do not need to answer the questions in between.

Returning your form

Check that all required questions are answered and that **all** forms are signed and dated.

Important Note: You must return **all** forms and **all** supporting documents and lodge them together. If you do not return all documents, your claim may not be accepted. The only exceptions will be if you are waiting for medical evidence or statements and other forms from a third party.

You can return forms and any supporting documents:

In person/by post – to the Indian Employees' Provident Fund Organisation.

The Indian Employees' Provident Fund Organisation will copy original documents for you and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim forms, please ensure you keep a copy, not the original. The Indian Employees' Provident Fund Organisation will forward all forms and supporting documentation to Services Australia.

Online – submit your documents online (excluding identity documents). For more information about how to access an Online Account or how to lodge documents online, go to servicessaustralia.gov.au/submitdocumentsonline

By post – return your documents by sending them to:

**Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
Australia**

If you send original documents to us, we will make copies and return the original documents to you.

While you can lodge your form direct with us, lodging with the local Indian Employees' Provident Fund Organisation office will normally make it easier and faster for you to receive a decision on your claim.

If you need advice call us direct (free of charge) on **000 800 61 01098** between 8.00 am and 5.00 pm (Hobart Time), Monday to Friday.

This service may not be available from all locations in India. If this service is not available call us in Australia on **+61 3 6222 3455**.

Australian Age Pension – what you can claim

Requirements

To claim an Australian Age Pension, a period of permanent Australian residence must be proven.

'**Permanent**' means you lived in Australia on a long-term basis, with a permanent residence visa or as an Australian citizen. Holidays in Australia are not included. Holidays or short trips outside Australia while you were living in Australia are included as part of your residence in Australia.

If you have never lived in Australia you cannot be paid an Australian Age Pension.

If you qualify for an Australian Age Pension under the Social Security Agreement between Australia and India, the amount of pension you get paid will depend on how long you have lived in Australia between 16/11/1995 and pension age.

The amount of pension usually also depends on your (and/or your partner's) income and assets.

You should claim Age Pension if:

- you are over pension age (please refer to the table below), **AND**
- you have lived in Australia for more than 10 years, OR
- the period of time you have lived in Australia and your period of Indian insurance since 1 January 2016 adds up to more than 10 years.

Pension age and claim lodgement rules

You can lodge your claim for Age Pension up to 13 weeks before you reach pension age.

A claim lodged more than 13 weeks before you reach pension age does not meet Australian legislation provisions and another claim will be required.

Age requirements

To be paid Age Pension you must meet the age requirements. You can lodge a claim up to 13 weeks before your qualifying age. See table below.

Date of birth	Qualifying age
On or before 31 December 1953	You meet the age requirements now
1 January 1954 to 30 June 1955	66 years
1 July 1955 to 31 December 1956	66 years and 6 months
From 1 January 1957	67 years

Information about claiming Australian Age Pension

What you will need

As a customer you may be required to confirm your identity when claiming a payment or service from Services Australia.

If you lodge with your local Indian Employees' Provident Fund Organisation, they will confirm your identity for you.

If you choose to send your claim directly to us, you must confirm your identity by providing **original documents** (not copies) from the approved list below. We will return your original documents to you.

We need you to provide:

- One document to show **either** proof of birth in Australia (e.g. Australian birth certificate) **OR** proof of arrival in Australia (e.g. visa in your passport).

AND

- Other documents listed below which add up to 100 points. This list is not complete; other documents may be accepted.

Note: You cannot use the same document to make up 100 points if you use it for proof of birth in Australia or proof of arrival in Australia.

Australian documents	Points
Passport (current)	70
Citizenship Certificate	70
Birth Certificate	70
Certificate of Evidence of Resident Status	70
Australian Entry Visa	70
Driver's Licence	40
Marriage Certificate	40
Divorce Papers	40
Birth Certificate(s) of any of your child(ren)	40
Education Examination Certificates	40
Bank Card or Statements	40
Mortgage Papers	40
Certificate of Name Change	40
Rates Notices	20
Financial Papers (inc. share or superannuation statements)	10
Taxation Assessment Notice	10

Non-Australian documents	Points
Passport stamped with an entry into Australia	40
Identity Card	20
Other non-Australian documents that match the Australian documents listed above (e.g. marriage certificate, birth certificate, driver's licence etc.)	20

Note: Only a maximum of 3 non-Australian documents (excluding a current passport) can be used.

Confidential use of personal information

Personal information is treated as confidential and can only be released to someone else in special circumstances, where the law requires or where you give permission. If you have concerns about your personal information contact us. We will look into the matter and tell you about your rights to see and amend your information. If you are still not satisfied, you can contact the **Privacy Commissioner at GPO Box 5218, Sydney NSW 2001, Australia.**

Your obligations

Australian Age pension is paid subject to an income and assets test.

Most forms of income will affect the amount of Australian Age pension that you can be paid. The income test allows you to receive an amount of income before your Australian Age pension will be affected. You are required to tell us about all of the income that you receive and we will work out how it affects the amount of Australian Age pension that you can be paid.

The assets test allows you to have a certain level of assets before your Australian Age pension will be affected. As with income, you are required to tell us of all of your assets and we will tell you how they affect your Australian Age pension.

The income test

How much payment you receive will depend on your circumstances and your (and/or your partner's) income and assets.

We calculate the amount that could be paid to you, and if applicable, to your partner under both the income test and the assets test. The test giving the lower rate of payment is the one used to pay you and/or your partner.

Income includes money received from employment and money deemed to be earned from investments. It also includes money from outside Australia.

You can have income up to certain amounts before your payment is reduced.

Your income may include:

- deemed income from financial assets
- gross income from earnings
- income received to provide care
- net income from business, including farms
- family trust distributions or dividends from private company shares
- income attributable to the controllers of a private trust or private company
- income from rental property
- income from a life interest
- income from boarders and lodgers (other than immediate family)
- superannuation and pensions from countries other than Australia
- income from income stream products, superannuation pensions and annuities.

For more information about income, go to our website servicesaustralia.gov.au/income

The assets test

Most property and items you (and/or your partner) own or have interest in, including those assets held outside Australia, are taken into account when calculating your payment.

The value of your assets is what you would get for them if you sold them at market value.

Generally, any debt owing on an asset is deducted from the value of the asset.

Your assets may include:

- rental properties, farms, second or holiday houses
- cars, caravans, boats or trailers
- home contents and personal effects, including antiques or other collectables
- the market or trade value of all savings and investments, including funeral bonds
- loans you have made to other people, family trusts and companies
- value of most income stream products
- business assets
- interest in a private trust or private company
- superannuation investments held by people over Age Pension age
- licenses, for example fishing or taxi
- surrender value of life insurance policies, **and**
- any assets given away or sold for less than their market value within the last 5 years.

The following assets are NOT included:

- your principal family home (and up to 2 hectares of privately used surrounding land that is on the same title), and any permanent fixtures such as wall-to-wall carpet and wall heaters
- some income stream products
- cemetery plots and pre-paid funeral expenses
- any property or monies left to you in an estate which you are not yet able to receive, generally for a period up to 12 months
- accommodation bonds paid to an aged care home or on entry to residential aged care
- aids for people with a disability
- monies received from the National Disability Insurance Scheme to provide for the needs of people with a disability
- most compensation or insurance payments for loss or damage to buildings or personal effects
- any life interest, reversionary interest, remainder interest or contingent interest unless it was created by you, your partner or at the time of death of your partner, **and**
- assets up to a certain limit held in a Special Disability Trust (SDT) for an immediate family member.

These are called exempt assets.

For more information about assets visit servicesaustralia.gov.au/assets

Changes you must tell us about

As soon as you have lodged your claim for Australian pension, you must tell us **within 28 days** if any of these things happen or may happen. You can tell us by writing to us, by telephoning us direct (free of charge) on **000 800 61 01098** or on **+61 3 6222 3455** or by facsimile on **+61 3 6222 2799**.

- Income:**
- if you and/or your partner start to receive a pension from a country, other than Australia, or you are already getting one and it increases (e.g. annual reviews)
 - if you and/or your partner claim or receive compensation for work related accidents or illnesses
 - if you and/or your partner start work or recommence work, or start any form of profession, trade, business or self employment
 - if you and/or your partner receive a private pension or superannuation pension, or the private pension or superannuation pension you are already getting increases
 - if you and/or your partner start to receive rent, or the rent you are getting increases
 - if you and/or your partner's combined income from any source other than investments increases
 - if you and/or your partner buy or sell any shares or managed investments
 - if you and/or your partner receive any bonus shares.
-

- Assets:**
- if you and/or your partner's combined assets other than financial investments increase
 - if you and/or your partner's combined financial investments increase by more than AUD\$1,000
 - if you and/or your partner open any new accounts
 - if you and/or your partner give away assets or sell them for less than their value.
-

- Other things you must tell us:**
- if you get married or commence living with a person in a registered or de facto relationship
 - if you stop living with your partner
 - if you divorce
 - if your partner dies
 - if you and/or your partner move into or out of a nursing home, hostel or retirement village
 - if you and/or your partner or any of your dependent children/students are charged with an offence and are in custody or remanded in a psychiatric institution or in jail
 - if you and/or your partner sell, rent out or dispose of the home you live in
 - if you and/or your partner leave your home for more than 12 months
 - if you change your address you should tell us straight away. If mail is returned to us because you are not at the last address you gave us, payment may be delayed or stopped
 - if you are paid by direct deposit, you must advise us before you close or change your bank account
 - if you and/or your partner return to Australia, as your rate will probably change from the date you arrive
 - if you and/or your partner leave the country you live in, either permanently or temporarily, as your Australian Age Pension may no longer be payable.

Please keep (Part 1) Notes for claiming Australian Age Pension, pages 1 to 18, for your future reference.

ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए टिप्पणियाँ

ऑस्ट्रेलिया और भारत गणराज्य के बीच सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) समझौता

1

इस फॉर्म का प्रयोग कब करें

इस फॉर्म का प्रयोग ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए करें

और अधिक जानकारी के लिए

Services Australia की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं (International Services) को **000 800 61 01098** पर सीधे (निःशुल्क) कॉल करें। आप हमें सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक (होबार्ट का समय) फोन कर सकते/सकती हैं। हो सकता है कि यह सेवा भारत में सभी स्थानों से उपलब्ध न हो। यदि यह सेवा उपलब्ध नहीं है, तो हमें **+61 3 6222 3455** पर फोन करें।

ध्यान दें: कॉल शुल्क लागू होते हैं – मोबाइल फोन से की जाने वाली कॉलों पर उच्च दर से शुल्क लिया जा सकता है।

आप हमें निम्नलिखित तरीकों से लिखित सूचना दे सकते/सकती हैं:

- डाक से: **Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
Australia**
- फैक्स से: **+61 3 6222 2799**

कृपया अपना फोन नम्बर (कंट्री एवं एरिया कोड सहित) शामिल करें, ताकि हम तुरंत ही आपके सवाल का जवाब दे सकें।

सूचना ऑनलाइन – यदि आपको Centrelink की सेवाओं और भुगतानों से सम्बन्धित अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट **servicesaustralia.gov.au** देख सकते/सकती हैं।

कृपया (भाग 1) ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए टिप्पणियाँ, पृष्ठ 1 से 18 तक, भविष्य में संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।

आपके क्लेम पैक में शामिल फॉर्म

आपके क्लेम में, आपके पास निम्नलिखित फॉर्म होने चाहिए:

भाग 1 ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए टिप्पणियाँ

जिस फॉर्म को आप पढ़ रहे/रही हैं, उसमें आपको क्लेम करने, अपने अधिकारों एवं दायित्वों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

आपको यह जानकारी पढ़नी चाहिए और इसे भविष्य में संदर्भ हेतु संभाल कर रखना चाहिए।

भाग 2 ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करना

आपको व आपके पार्टनर (यदि कोई हो तो) को क्लेम फॉर्म में सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

Mod(iA) आय एवं संपत्ति

आपको व आपके पार्टनर (यदि कोई हो तो) को आय एवं संपत्ति फॉर्म में सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: आपको अपना क्लेम फॉर्म और सभी सहायक दस्तावेज वापिस भेजने चाहिए और इन्हें अपने क्लेम फॉर्म के साथ जमा कराना चाहिए। यदि आप सभी दस्तावेज वापिस नहीं करते/करती हैं, तो हो सकता है कि आपका क्लेम स्वीकार न किया जाए। ऐसी स्थिति में छूट केवल तभी मिलेगी यदि आप किसी तृतीय पक्ष से चिकित्सीय प्रमाण या वक्तव्यों तथा अन्य फॉर्मों की प्रतीक्षा कर रहे हों।

आपका पार्टनर (सहजीवी)

Services Australia समलैंगिक और विपरीत-लैंगिक, दोनों प्रकार के सम्बन्धों को मान्यता देता है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई राज्य या टेरिटरी (राज्य-क्षेत्र) के कानूनों या अन्य राष्ट्रों या क्षेत्रों के कानूनों के तहत पंजीकृत सम्बन्ध शामिल हैं।

आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और अपने पार्टनर (सहजीवी) से, भले ही वह समलिंगी या विपरीत-लिंगी हो, सम्बन्धित अनुरोध की गई सारी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे आपका पार्टनर कभी ऑस्ट्रेलिया न भी आया हो या फिर वह ऑस्ट्रेलियाई पेंशन के लिए क्लेम न कर रहा हो या इसे प्राप्त न कर रहा हो।

यदि आपका पार्टनर (यदि कोई हो तो) ऑस्ट्रेलियाई पेंशन के लिए क्लेम करना चाहता है, तो वह इस क्लेम फॉर्म का प्रयोग भी कर सकता/सकती है। भाग 2 में प्रश्न 2 का उत्तर दें और यह सुनिश्चित करें कि आप व आपका पार्टनर सभी प्रश्नों का उत्तर देते/देती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई पेंशन का क्लेम करने के लिए

हमें सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे (होबार्ट का समय) के बीच फोन करें।

हमें बताएँ कि आप ऑस्ट्रेलियाई पेंशन के लिए क्लेम करना चाहते/चाहती हैं और हमारे कर्मचारी आपको परामर्श देंगे कि ऑस्ट्रेलियाई पेंशन के लिए क्लेम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु आपके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है।

आप ऑस्ट्रेलिया में हमसे टेलीफोन, डाक या फैक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

इस फॉर्म को भरना

कृपया काली या नीली कलम का प्रयोग करें।

बड़े अक्षरों में लिखें।

ऐसे बॉक्स पर या **X** का निशान लगायें।

जब आप ऐसा बॉक्स देखें **5 पर जाएँ**, तो सीधे दिखाई गई प्रश्न संख्या पर जाएँ। आपको इन संख्याओं के बीच आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है।

अपने फॉर्म वापस करना

जांच करें कि सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं और सभी फॉर्मों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और दिनांक डाली गई है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: आपको सभी फॉर्म और सभी सहायक दस्तावेज़ वापस भेजने चाहिए और इन्हें एक साथ जमा कराना चाहिए। यदि आप सभी दस्तावेज़ वापस नहीं करते/करती हैं, तो हो सकता है कि आपका क्लेम स्वीकार न किया जाए। ऐसी स्थिति में छूट केवल तभी मिलेगी यदि आप किसी तृतीय पक्ष से चिकित्सीय प्रमाण या वक्तव्यों तथा अन्य फॉर्मों की प्रतीक्षा कर रहे हों।

आप फॉर्म और कोई सहायक दस्तावेज़ वापस भेज सकते हैं।

खुद आकर/डाक से – भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) को।

भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) संस्था आपके लिए मूल दस्तावेज़ों की प्रति बनाएगी और इन्हें आपको वापस भेजेगी। क्लेम फॉर्म की प्रति तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्लेम फॉर्म की प्रति तैयार करते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसकी प्रति अपने पास रखें, न कि मूल क्लेम फॉर्म। भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) संस्था सभी फॉर्मों और समर्थन हेतु दस्तावेज़ों को Services Australia के पास अग्रेषित करेगी।

ऑनलाइन – अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा कराएँ (पहचान संबंधी दस्तावेज़ों को छोड़कर)। ऑनलाइन एकाउंट कैसे ऐक्सेस करें या दस्तावेज़ ऑनलाइन कैसे जमा कराएँ, इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए servicesaustralia.gov.au/submitdocumentsonline देखें।

डाक द्वारा – अपने दस्तावेज़ निम्नलिखित पते पर डाक से भेजें:

**Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
Australia**

यदि आप हमें मूल दस्तावेज़ भेजते हैं, तो हम इनकी प्रतियाँ तैयार करके मूल दस्तावेज़ आपको वापस भेज देंगे।

आप अपना फॉर्म सीधे हमारे पास जमा करा सकते/सकती हैं, पर इसे भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) के साथ जमा कराने से सामान्यतः आपके लिए अपने क्लेम पर निर्णय प्राप्त करना अधिक आसान और शीघ्र बन जाएगा।

यदि आपको सलाह की ज़रूरत है, तो हमें सीधे (निःशुल्क) सोमवार से शुक्रवार सुबह 8.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे (होर्बोर्ट का समय) के बीच **000 800 61 01098** पर फोन करें।

हो सकता है कि यह सेवा भारत में सभी स्थानों पर उपलब्ध न हो। यदि यह सेवा उपलब्ध नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें **+61 3 6222 3455** पर फोन करें।

आवश्यकताएँ

ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में रहने की अवधि प्रमाणित की जानी चाहिए।

‘ऑस्ट्रेलिया में रहने’ का अर्थ है कि आप ऑस्ट्रेलिया में दीर्घावधि के लिए रहे, एक पात्र वीजा पर या ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के तौर पर। जब आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के बाहर बिताई गई छुट्टियाँ या थोड़े समय की यात्राएँ ऑस्ट्रेलिया में आपके रहने के भाग में शामिल की जाती हैं।

यदि आपने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में निवास नहीं किया है, तो आपको ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) समझौते के अधीन ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन के लिए पात्र हैं, तो आपको भुगतान की जाने वाली पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि 16/11/1995 और पेंशन आयु के बीच आपने ऑस्ट्रेलिया में कितनी देर निवास किया है।

पेंशन की राशि आम-तौर पर आपकी (और/या आपके पार्टनर की) आय एवं संपत्ति पर भी निर्भर करती है।

आपको आयु पेंशन के लिए क्लेम करना चाहिए यदि:

- आपकी आयु पेंशन आयु से अधिक है (कृपया नीचे तालिका देखें), और
- आपने 10 से अधिक वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में निवास किया है, या
- आपके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में बिताई समयावधि और 1 जनवरी 2016 के बाद भारतीय बीमे की आपकी अवधि मिलाकर 10 साल से अधिक समय होती है।

पेंशन की आयु और क्लेम जमा कराने संबंधी नियम

आप अपने पेंशन आयु के होने से 13 सप्ताह पहले तक आयु पेंशन के लिए क्लेम जमा करा सकते/सकती हैं।

आपके पेंशन आयु के होने से 13 सप्ताह पहले जमा कराया गया क्लेम ऑस्ट्रेलियाई कानूनी प्रावधानों को पूरा नहीं करता है और एक अन्य क्लेम करने की आवश्यकता होगी।

आयु संबंधी आवश्यकताएँ

आयु संबंधी पेंशन का भुगतान किए जाने के लिए यह जरूरी है कि आप आयु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते/करती हों। पात्र होने की आयु से 13 सप्ताह पहले आप क्लेम जमा करा सकते/सकती हैं। नीचे दी गई तालिका देखें।

जन्म तिथि	योग्यता के लिए आयु
31 दिसम्बर 1953 को या इससे पहले	अब आप आयु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते/करती हैं
1 जनवरी 1954 से लेकर 30 जून 1955 तक	66 साल
1 जुलाई 1955 से लेकर 31 दिसम्बर 1956 तक	66 साल 6 महीने
1 जनवरी 1957 से	67 साल

आपको किसकी ज़रूरत होगी

उपभोक्ता के तौर पर हो सकता है कि Services Australia से किसी भुगतान या सेवा का क्लेम करने समय आपको अपनी पहचान की पुष्टि करने की ज़रूरत पड़े।

यदि आप अपने स्थानीय भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संस्था के यहाँ जमा कराते/कराती हैं, तो वे आपके लिए आपकी पहचान की पुष्टि करेंगे।

यदि आप अपना क्लेम सीधे हमें भेजने का फैसला लेते/लेती हैं, तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप नीचे दी गई अनुमोदित सूची से **मूल दस्तावेज़** (न कि प्रतियाँ) प्रदान करने अपनी पहचान की पुष्टि करें। हम आपके मूल दस्तावेज़ आपको वापिस भेज देंगे।

हम यह आवश्यक बनाते हैं कि आप निम्नलिखित प्रदान करें:

- एक दस्तावेज़ जो **या तो** ऑस्ट्रेलिया में आपके जन्म का प्रमाण दे (जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बर्थ सर्टिफिकेट) **या** आपके ऑस्ट्रेलिया आगमन करने का प्रमाण दे (जैसे कि आपके पासपोर्ट में लगा वीजा)

और

- नीचे सूचीबद्ध अन्य दस्तावेज़ जिनका जोड़ 100 प्वाइंट होता हो। यह सूची संपूर्ण नहीं है, अन्य दस्तावेज़ स्वीकार किए जा सकते हैं।

ध्यान दें: यदि आप किसी दस्तावेज़ का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में जन्म के प्रमाण या ऑस्ट्रेलिया में आगमन के प्रमाण के लिए करते/करती हैं, तो आप उसी दस्तावेज़ का प्रयोग 100 प्वाइंट बनाने के लिए नहीं कर सकते/सकती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई दस्तावेज़	प्वाइंट्स
पासपोर्ट (वर्तमान)	70
सिटीजनशिप सर्टिफिकेट	70
बर्थ सर्टिफिकेट	70
रेज़िडेन्ट स्टेट्स के प्रमाण का सर्टिफिकेट	70
ऑस्ट्रेलियन एंट्री वीजा	70
राइवर्स लाइसेंस	40
मैरिज सर्टिफिकेट	40
डिवोर्स पेपर	40
आपकी किसी संतान का(के) बर्थ सर्टिफिकेट	40
शिक्षा संबंधी सर्टिफिकेट	40
बैंक कार्ड या स्टेटमेंट	40
मॉर्गेज पेपर	40
सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज	40
रेट्स नोटिस	20
वित्त संबंधी दस्तावेज़ (इसमें शेयर या सुपरएनुएशन स्टेटमेंट शामिल है)	10
टैक्सेशन एसेसमेंट नोटिस	10

गैर-ऑस्ट्रेलियाई दस्तावेज़	प्वाइंट्स
पासपोर्ट जिसपर ऑस्ट्रेलिया में आगमन करने की स्टेम्प लगी हो	40
पहचान पत्र	20
अन्य गैर-ऑस्ट्रेलियाई दस्तावेज़ जो उपरोक्त सूचीबद्ध ऑस्ट्रेलियाई दस्तावेज़ों से मेल खाते हों (जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइवर्स लाइसेंस आदि)।	20

ध्यान दें: अधिक से अधिक केवल 3 गैर-ऑस्ट्रेलियाई दस्तावेज़ों (वर्तमान पासपोर्ट के अलावा) का प्रयोग किया जा सकता है।

व्यक्तिगत जानकारी का गोपनीयतापूर्ण उपयोग

व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंध गोपनीय रूप से कि या जाता है और इसे केवल उन विशेष परिस्थितियों में ही कि सी और को जारी कि या जा सकता है, जहाँ कानूनन ऐसा करना आवश्यक होता है या फिर जहाँ आप ऐसा करने की अनुमति देते/देती हैं। यदि आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में कोई चिंता है, तो हमसे संपर्क करें। हम मामले की जाँच करेंगे और आपके अधिकांश के बारे में आपको बताएँगे ताकि आपकी जानकारी को देखा जा सके और इसे संशोधित कि या जा सके। यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप **Privacy Commissioner at GPO Box 5218, Sydney NSW 2001, Australia** से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

आपके दायित्व

ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का भुगतान आय एवं संपत्ति जाँच के अधीन किया जाता है।

आय के अधिकांश प्रकार आपको भुगतान की जाने सकने वाली ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन की राशि को प्रभावित करेंगे। आय जाँच से आपको आपकी ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन प्रभावित होने से पहले एक आय राशि मिलना संभव है। आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप हमें आपको मिलने वाली सारी आय बताएँ और हम यह पता लगाएँगे कि यह आपको भुगतान की जा सकने वाली ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन की राशि को कैसे प्रभावित करती है।

संपत्ति जाँच आपको आपकी ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन प्रभावित होने से पहले संपत्तियों के निश्चित स्तर को रखना संभव बनाती है। जैसा कि आय के साथ होता है, आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप हमें अपनी सभी संपत्तियों के बारे में बतायें और हम आपको बताएँगे कि ये आपकी ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन को कैसे प्रभावित करती हैं।

आय जाँच

आपको कितना भुगतान मिलेगा यह आपकी परिस्थितियों और आपकी (और/या आपके पार्टनर की) आय और संपत्तियों पर निर्भर करेगा।

हम आय जाँच और संपत्ति जाँच दोनों के तहत आपको, और यदि लागू हो तो आपके पार्टनर को किए जाने वाले भुगतान की राशि का हिसाब लगाते हैं। भुगतान की निम्न दर प्रदान करने वाली जाँच का प्रयोग आपको और/या आपके पार्टनर को भुगतान करने के लिए किया जाता है।

आय में रोज़गार से मिली धन-राशि और निवेशों से कमाई हुई मानी जाने वाली धन-राशि शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के बाहर से मिलने वाली धन-राशि भी शामिल है।

इससे पहले कि आपके भुगतान को कम किया जाए आपकी आय निश्चित राशियों तक हो सकती है।

आपकी आय निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है:

- वित्तीय संपत्तियों से अनुमानित आय
- आमदनी से मिलने वाली सकल आय
- देखभाल प्रदान करने के लिए मिलने वाली आय
- फार्म (कृषिभूमि) सहित व्यापार से मिलने वाली शुद्ध आय
- फैमिली ट्रस्ट वितरण या गैर-सरकारी कम्पनियों के शेयरों से मिलने वाला डिविडेन्ड (लाभांश)
- किसी प्राइवेट ट्रस्ट (निजी न्यास) या गैर-सरकारी कम्पनी के नियंत्रकों के रूप में मिलने वाली आय
- किराए पर दी जाने वाली प्रापर्टी (संपत्ति) से मिलने वाली आय
- आजीवन हित से मिलने वाली आय
- बोर्डर और लॉज़र-किराएदारों (करीबी परिवार के अलावा) से मिलने वाली आय
- ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे देशों से मिलने वाला सुपरएनुएशन (सेवा-निवृत्ति) और पेंशन
- आय स्रोत उत्पादों, सुपरएनुएशन पेंशनों और वार्षिकियों से मिलने वाली आय

आय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/income पर जाएँ

संपत्ति जाँच

आपके भुगतान का हिसाब लगाते समय ऑस्ट्रेलिया के बाहर आपकी संपत्तियों को शामिल कर आपके (और/या आपके पार्टनर) के स्वामित्व या हित वाली अधिकांश संपत्तियों और वस्तुओं पर गौर किया जाता है।

आपकी संपत्तियों की कीमत वह होती है जो आपको उस परिस्थिति में मिलेगी यदि आप उन्हें उनकी बाज़ारी कीमत पर बेचेंगे/बेचेंगी। सामान्यतः, किसी संपत्ति पर बकाया कर्जों को संपत्ति की कीमत से घटाया जाता है।

आपकी संपत्तियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं:

- किराए पर दी जाने वाली प्रापर्टियाँ (संपत्तियाँ), दूसरे या अवकाश घर
- कारें, कैरावेन, बोट या ट्रेलर
- घरेलू सामग्री और वैयक्तिक सामान, इसमें पुरातन अवशेष या अन्य संग्रहणीय वस्तुएँ शामिल हैं
- सभी बचत और निवेश का बाज़ारी या व्यापारिक मूल्य, इनमें फ्यूचरल बांड शामिल हैं
- आपके द्वारा दूसरे लोगों, फैमिली ट्रस्टों (पारिवारिक न्यासों) और कम्पनियों को दिया गया उधार
- अधिकांश आय स्रोत उत्पादों का मूल्य
- व्यापारिक संपत्तियाँ
- किसी प्राइवेट ट्रस्ट (निजी न्यास) या गैर-सरकारी कम्पनी में हित
- आयु पेंशन से अधिक उम्र के लोगों के नाम के सुपरएनुएशन (सेवा-निवृत्ति) निवेश
- लाइसेंस, उदाहरण के लिए फिशिंग (मछली पकड़ने के) या टैक्सी चलाने के
- जीवन बीमा नीतियों के अभ्यर्पण मूल्य, और
- पिछले 5 वर्षों में अपनी बाज़ारी कीमत से कम दाम में दी गई या बेची गई संपत्तियाँ

निम्नलिखित संपत्तियाँ शामिल नहीं हैं:

- आपका प्रमुख पारिवारिक घर (और उसी टाइटल पर निजी तौर पर प्रयोग की जाने वाली आसपास की 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन), और कोई स्थायी फिक्सचर जैसे कि वॉल-टू-वॉल कार्पेट और वॉल हीटर
- आय के स्रोत कुछ उत्पाद
- सेमेटरी प्लॉट (कब्रिस्तान में भूखण्ड) और अंतिम संस्कार के लिए पहले से भुगतान किए गए खर्च
- किसी एस्टेट में आपके लिए छोड़ी गई कोई संपत्ति या धन-राशि जिसे आप अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे/रही हैं, आम-तौर पर 12 महीनों की अवधि के लिए
- एजड केयर होम (वयोवृद्ध देखभाल गृह) को भुगतान किए गए या आवासीय वयोवृद्ध देखभाल-केन्द्र (रेज़ीडेंशियल एजड केयर) में प्रवेश करते समय भुगतान किए गए आवास बांड
- विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए साधन
- विकलांगता से ग्रस्त लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए National Disability Insurance Scheme से प्राप्त धन-राशि
- इमारतों को हुए नुकसान या क्षति या व्यक्तिगत प्रभावों के लिए अधिकांश मुआवज़ा या बीमा भुगतान
- कोई आजीवन हित, प्रत्यावर्ती हित, शेष हित या प्रासंगिक हित बशर्ते कि इसका निर्माण आपके द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा या आपके पार्टनर के देहांत के समय किया गया था, और
- परिवार के किसी करीबी सदस्य के लिए Special Disability Trust (SDT) में रखी निश्चित सीमा तक की संपत्तियाँ

इन्हें छूट-प्राप्त संपत्तियाँ कहते हैं।

संपत्तियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए servicesaustralia.gov.au/assets देखें

जैसे ही आप ऑस्ट्रेलियाई पेंशन के लिए अपना क्लेम जमा कराते/कराती हैं, आपको इनमें से किसी भी बात के घटित होने या घटित हो सकने की स्थिति में **28 दिनों के अंदर** हमें बताना चाहिए। आप हमें लिख करके, सीधे हमें **000 800 61 01098** या **+61 3 6222 3455** पर फोन करके (बिना किसी शुल्क के) या **+61 3 6222 2799** पर फैक्स करके सूचित कर सकते/करती हैं।

- आय:**
- यदि आपको और/या आपके पार्टनर (सहजीवी) को ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी दूसरे देश से पेंशन मिलनी शुरू होती है, या आपको पहले से पेंशन मिल रही है और इसमें वृद्धि होती है (उदाहरणतः वार्षिक समीक्षाएँ)
 - यदि आप और/या आपका पार्टनर कार्य सम्बन्धित दुर्घटनाओं या बीमारियों के लिए मुआवजे का दावा करते/करती हैं या मुआवजा प्राप्त करते/करती हैं
 - यदि आप और/या आपका पार्टनर नौकरी शुरू करते/करती हैं या नौकरी दोबारा करना शुरू करते/करती हैं, या किसी प्रकार का व्यवसाय, ट्रेड, व्यापार या खुद का रोजगार शुरू करते/करती हैं
 - यदि आपको और/या आपके पार्टनर को गैर-सरकारी पेंशन या सुपरएनुएशन (सेवा-निवृत्ति) पेंशन मिलती है, या आपको पहले से मिलने वाली गैर-सरकारी पेंशन या सुपरएनुएशन (सेवा-निवृत्ति) पेंशन में वृद्धि होती है
 - यदि आपको और/या आपके पार्टनर को किराया मिलना शुरू होता है, या आपको मिलने वाले किराए में वृद्धि होती है
 - यदि आपकी और/या आपके पार्टनर की निवेशों के अलावा किसी अन्य स्रोत से संयुक्त आय में वृद्धि होती है
 - यदि आप और/या आपका पार्टनर कोई शेयर या मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट (प्रबंधित निवेश) खरीदते/खरीदती या बेचते/बेचती हैं
 - यदि आपको और/या आपके पार्टनर को कोई बोनस (अधिलाभांश के तौर पर) शेयर मिलते हैं।

- संपत्ति:**
- यदि आपके और/या आपके पार्टनर (सहजीवी) के वित्तीय निवेशों के अलावा संयुक्त संपत्तियों में वृद्धि होती है
 - यदि आपके और/या आपके पार्टनर के वित्तीय निवेशों में 1000 ऑस्ट्रेलियाई डालर से अधिक की वृद्धि होती है
 - यदि आप और/या आपका पार्टनर कोई नए एकाउंट खोलते/खोलती हैं
 - यदि आप और/या आपका पार्टनर अपनी संपत्तियों को उनकी कीमत से कम मूल्य पर दे देते/देती हैं या बेच देते/देती हैं।

अन्य बातें जो आपको हमें बतानी चाहिए:

- यदि आपका विवाह होता है या आप किसी रजिस्टर्ड या डि फेक्टो संबंध में किसी व्यक्ति के साथ रहना शुरू करते/करती हैं
- यदि आप अपने पार्टनर (सहजीवी) के साथ रहना समाप्त कर देते/देती हैं
- यदि आपका तलाक हो जाता है
- यदि आपके पार्टनर का देहांत हो जाता है
- यदि आप और/या आपका पार्टनर नर्सिंग होम, होस्टल या रिटायरमेंट विलज में रहने चले जाते/जाती हैं या इसे छोड़ देते/देती हैं
- यदि आप पर और/या आपके पार्टनर या आपके किन्हीं आश्रित बच्चों/छात्रों पर अपराध का आरोप लगाया जाता है और आप या वह हिरासत में हैं या आपको या उन्हें मनोरोग संस्थान में बंधन में या जेल में रखा गया है
- यदि आप और/या आपका पार्टनर उस घर को बेच देते/देती हैं, किराए पर देते/देती हैं या निपटान कर देते/देती हैं जहाँ आप और/या आपका पार्टनर रहते/रहती हैं
- यदि आप और/या आपका पार्टनर 12 महीनों से अधिक के लिए आपका घर छोड़कर चले जाते/जाती हैं
- यदि आप अपना पता बदलते/बदलती हैं, तो आपको तुरंत ही हमें बताना चाहिए। यदि हमें पत्र वापस मिलता है क्योंकि आपने हमें जो अंतिम पता दिया था अब आप वहाँ नहीं रहते/रहती हैं, तो हो सकता है कि भुगतान में विलंब हो या इसे रोक दिया जाए
- यदि आपको डॉयरेक्ट डेबिट द्वारा भुगतान किया जाता है, तो आपको अपना बैंक एकाउंट बंद करने या बदलने से पहले हमें सूचित करना चाहिए
- यदि आप और/या आपका पार्टनर वापस ऑस्ट्रेलिया लौट आए/आई हैं, क्योंकि सम्भवतः आपकी दर आपके आगमन की दिनांक से बदल जाएगी
- यदि आप और/या आपका पार्टनर उस देश को स्थायी या अस्थायी तौर पर छोड़ देते/देती हैं जहाँ आप निवास करते/करती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन अब देय न हो।

कृपया (भाग 1) ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए टिप्पणियाँ, पृष्ठ 1 से 18 तक, भविष्य में संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।

OFFICE USE ONLY—Date of receipt at the Indian Employees' Provident Fund Organisation

केवल आधिकारिक प्रयोग के लिए – भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संस्था पर प्राप्त होने की दिनांक

Date stamp
दिनांक स्टैम्प

2

You/आप

1 If we need to contact you what is your preferred language?

यदि हमें आपसे संपर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बतायें कि आपकी पसंदीदा भाषा कौन सी है?

1

2

2 Do you have a partner?

क्या आपका कोई पार्टनर (सहजीवी) है?

If your partner is now deceased, please fill in 'Your partner' details at questions 5, 6, 7, 8, 13 and 20 ONLY.

यदि आपके पार्टनर (सहजीवी) का देहांत हो गया है, तो कृपया केवल प्रश्न 5, 6, 7, 8, 13 और 20 पर ही 'आपका पार्टनर' विवरण भरें।

No Go to 5

नहीं 5 पर जाएँ

Yes Go to next question

हाँ अगले प्रश्न पर जाएँ

3 Is your partner also claiming an Australian pension?

क्या आपका पार्टनर भी ऑस्ट्रेलियाई पेंशन के लिए क्लेम कर रहा है?

No You must still answer all questions about your partner.

फिर भी आपके लिए अपने पार्टनर से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी है।

Yes Go to next question

हाँ अगले प्रश्न पर जाएँ

4 Is your partner using this form or a separate form for a claim or to provide their details?

क्या आपका पार्टनर क्लेम के लिए या अपने विवरण प्रदान करने के लिए इस फॉर्म या किसी अलग फॉर्म का प्रयोग कर रहा है?

This form

इस फॉर्म का प्रयोग

Separate form

अलग फॉर्म का प्रयोग

Your partner/आपका पार्टनर

If your partner is now deceased, please fill in 'Your partner' details at questions 5, 6, 7, 8, 13 and 20 ONLY.

यदि आपके पार्टनर (सहजीवी) का देहांत हो गया है, तो कृपया केवल प्रश्न 5, 6, 7, 8, 13 और 20 पर ही 'आपका पार्टनर' विवरण भरें।



CLK0AUS140IN 2006

You/आप**5 Your name**

आपका नाम

Mr Mrs Miss Ms Other
 श्रीमान श्रीमती कुमारी सुश्री अन्य

Family name

पारिवारिक नाम

First given name

प्रथम नाम

Second given name

द्वितीय नाम

6 Have you ever used or been known by any other name (e.g. name at birth, maiden name, previous married name, Aboriginal or tribal name, alias, adoptive name, foster name)?

क्या आपने कभी किसी अन्य नाम का प्रयोग किया है या क्या आपको किसी अन्य नाम से जाना गया है [उदाहरणतः जन्म के समय का नाम, विवाहपूर्व कुलनाम, पिछले विवाह से जुड़ा आपका नाम, एबोरिजनल (जनजातीय) या ट्राइबल (आदिवासी) नाम, कल्पित नाम, दत्तक नाम, पालक (फॉस्टर) नाम]?

No **Go to next question**
 नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**
 हाँ विवरण नीचे दें

1 Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. name at birth)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः विवाहपूर्व कुलनाम)

2 Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. maiden name)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः विवाहपूर्व कुलनाम)

If you have more than 2 other names, attach a separate sheet with details.

यदि आपके 2 से अधिक अन्य नाम हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें

Your partner/आपका पार्टनर**5 Your name**

आपका नाम

Mr Mrs Miss Ms Other
 श्रीमान श्रीमती कुमारी सुश्री अन्य

Family name

पारिवारिक नाम

First given name

प्रथम नाम

Second given name

द्वितीय नाम

6 Have you ever used or been known by any other name (e.g. name at birth, maiden name, previous married name, Aboriginal or tribal name, alias, adoptive name, foster name)?

क्या आपने कभी किसी अन्य नाम का प्रयोग किया है या क्या आपको किसी अन्य नाम से जाना गया है [उदाहरणतः जन्म के समय का नाम, विवाहपूर्व कुलनाम, पिछले विवाह से जुड़ा आपका नाम, एबोरिजनल (जनजातीय) या ट्राइबल (आदिवासी) नाम, कल्पित नाम, दत्तक नाम, पालक (फॉस्टर) नाम]?

No **Go to next question**
 नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**
 हाँ विवरण नीचे दें

1 Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. name at birth)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः विवाहपूर्व कुलनाम)

2 Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. maiden name)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः विवाहपूर्व कुलनाम)

If you have more than 2 other names, attach a separate sheet with details.

यदि आपके 2 से अधिक अन्य नाम हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें

You/आप

7 Your gender

आपका लिंग

Male
पुरुष

Female
महिला

8 Your date of birth

आपकी जन्म-तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल



Attach an original document as proof of your date of birth.

अपनी जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर एक मूल दस्तावेज़ संलग्न करें।

9 Your permanent address

आपका स्थायी पता

Country राष्ट्र

10 Your postal address (if different to above)

आपका डाक पता (यदि उपरोक्त से अलग हो)

Country राष्ट्र

Your partner/आपका पार्टनर

7 Your gender

आपका लिंग

Male
पुरुष

Female
महिला

8 Your date of birth

आपकी जन्म-तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल



Attach an original document as proof of your date of birth.

अपनी जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर एक मूल दस्तावेज़ संलग्न करें।

9 Your permanent address

आपका स्थायी पता

Country राष्ट्र

10 Your postal address (if different to above)

आपका डाक पता (यदि उपरोक्त से अलग हो)

Country राष्ट्र

11 Your contact details

आपके संपर्क विवरण

It is important that you include the complete number (including the country and area codes) as we may need to contact you on these numbers.

If you provide an email address or mobile phone number, you may receive electronic messages (SMS or email) from us. To read the Terms and Conditions, go to our website servicessaustralia.gov.au/em

यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरा नम्बर (कंट्री एवं एरिया कोड सहित) शामिल करें क्योंकि हमें आपसे इन नम्बरों पर संपर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आप कोई ई-मेल पता या मोबाइल फोन नम्बर प्रदान करते/करती हैं, तो हो सकता है कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक संदेश (SMS या ई-मेल) भेजें। नियम व शर्तें पढ़ने के लिए, हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/em देखें।

Home phone number

घर का फोन नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Mobile phone number

मोबाइल फोन नम्बर

Fax number

फैक्स नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Alternative phone number

वैकल्पिक फोन नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Email

ई-मेल

11 Your contact details

आपके संपर्क विवरण

It is important that you include the complete number (including the country and area codes) as we may need to contact you on these numbers.

If you provide an email address or mobile phone number, you may receive electronic messages (SMS or email) from us. To read the Terms and Conditions, go to our website servicessaustralia.gov.au/em

यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरा नम्बर (कंट्री एवं एरिया कोड सहित) शामिल करें क्योंकि हमें आपसे इन नम्बरों पर संपर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आप कोई ई-मेल पता या मोबाइल फोन नम्बर प्रदान करते/करती हैं, तो हो सकता है कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक संदेश (SMS या ई-मेल) भेजें। नियम व शर्तें पढ़ने के लिए, हमारी वेबसाइट servicessaustralia.gov.au/em देखें।

Home phone number

घर का फोन नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Mobile phone number

मोबाइल फोन नम्बर

Fax number

फैक्स नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Alternative phone number

वैकल्पिक फोन नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Email

ई-मेल

12 Are you currently receiving an Australian pension?

क्या आपको वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई पेंशन मिल रही है?

No *Go to next question*
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँYes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

What payment are you receiving?

आपको कौन सा भुगतान मिल रहा है?

Your Centrelink Reference Number (if known)

आपका Centrelink रेफरेंस नम्बर (यदि ज्ञात हो)

 - - -

Name payments are made in

वह नाम जिनमें भुगतान किए गए थे

▶ **Go to 14**
16 पर जाएँ**13** Have you claimed or received an Australian pension or benefit in the last 10 years?

क्या आपने पिछले 10 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई पेंशन या बेनेफिट का क्लेम किया है या इसे प्राप्त किया है?

No *Go to next question*
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँYes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

What payments did you last claim or receive?

आपने पिछली बार किन भुगतानों का क्लेम किया था या आपको प्राप्त हुए थे?

Your Centrelink Reference Number (if known)

आपका Centrelink रेफरेंस नम्बर (यदि ज्ञात हो)

 - - -

Name claim was made in

वह नाम जिसमें क्लेम किया गया था

12 Are you currently receiving an Australian pension?

क्या आपको वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई पेंशन मिल रही है?

No *Go to next question*
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँYes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

What payment are you receiving?

आपको कौन सा भुगतान मिल रहा है?

Your Centrelink Reference Number (if known)

आपका Centrelink रेफरेंस नम्बर (यदि ज्ञात हो)

 - - -

Name payments are made in

वह नाम जिनमें भुगतान किए गए थे

▶ **Go to 14**
16 पर जाएँ**13** Have you claimed or received an Australian pension or benefit in the last 10 years?

क्या आपने पिछले 10 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई पेंशन या बेनेफिट का क्लेम किया है या इसे प्राप्त किया है?

No *Go to next question*
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँYes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

What payments did you last claim or receive?

आपने पिछली बार किन भुगतानों का क्लेम किया था या आपको प्राप्त हुए थे?

Your Centrelink Reference Number (if known)

आपका Centrelink रेफरेंस नम्बर (यदि ज्ञात हो)

 - - -

Name claim was made in

वह नाम जिसमें क्लेम किया गया था

14 Please read this before answering the question.

कृपया प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

Selection **ONE** option below that best describes your current relationship status.

नीचे एक विकल्प चुनें जो आपकी वर्तमान सम्बन्ध स्थिति (रिलेशनशिप स्टेटस) का वर्णन सबसे अच्छी तरह से करता हो।

What is your **CURRENT** relationship status?

आपकी वर्तमान सम्बन्ध स्थिति (रिलेशनशिप स्टेटस) क्या है?

Married

विवाहित

Go to 15
15 पर जाएँ

Registered relationship

(relationship registered under Australian state or territory laws or laws of other countries or regions)

पंजीकृत सम्बन्ध

(ऑस्ट्रेलियाई राज्य या राज्य-क्षेत्र के कानूनों या अन्य देशों या क्षेत्रों के कानूनों के अधीन रजिस्टर्ड संबंध)

Go to 15
15 पर जाएँ

Partnered

(living together in a relationship, including de facto)

पार्टनर के साथ

(किसी रिश्ते में बंधकर एक साथ रहना, इसमें डि फेक्टो शामिल है)

Go to 16
16 पर जाएँ

Separated

(previously lived with a partner, including in a marriage, registered or de facto relationship)

अलग-अलग रह रहे/रही हैं

(पहले किसी पार्टनर के साथ रहे हैं, इसमें विवाह का, रजिस्टर्ड या डि फेक्टो संबंध शामिल है)

Go to 21
21 पर जाएँ

Divorced

तलाकशुदा

Go to 21
21 पर जाएँ

Widowed

(previously partnered, including in a marriage, registered or de facto relationship)

विधवा/विधुर

(पहले कोई पार्टनर रह चुका है, इसमें विवाह से, रजिस्टर्ड या डि फेक्टो संबंध से पार्टनर का होना शामिल है)

Go to 20
20 पर जाएँ

Never married or lived with a partner

कभी विवाह नहीं हुआ या कभी किसी पार्टनर के साथ नहीं रहे/रही

Go to 23
23 पर जाएँ

15 What is your date of marriage or relationship registration?

आपकी विवाह की तिथि या संबंध का पंजीकरण कराने की तिथि क्या है?

If you have **ever been separated**, list the date that you most recently reconciled with your partner.

यदि आप अपने पति या अपनी पत्नी से कभी अलग हुई/हुए हैं, तो वह तिथि लिखें जिस दिन से आप सबसे हाल ही में अपने पार्टनर से दोबारा समझौता हुआ है।

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Country where you married or your relationship was registered.

वह देश जहाँ आपका विवाह हुआ था या आपके सम्बन्ध का पंजीकरण हुआ था।

Go to 17 / 17 पर जाएँ

16 When did you and your partner start living together as a member of a couple?

आपने और आपके पार्टनर ने एक दम्पति के रूप एक साथ रहना कब शुरू किया?

If you have **ever been separated**, list the date that you most recently reconciled with your partner.

यदि आप अपने पति या अपनी पत्नी से कभी अलग हुई/हुए हैं, तो वह तिथि लिखें जिस दिन से आप सबसे हाल ही में अपने पार्टनर से दोबारा समझौता हुआ है।

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

17 Do you currently live in the same home as your partner?

क्या आप वर्तमान में अपने पार्टनर (सहजीवी) के साथ एक ही घर में रहते/रहती हैं?

No **Go to next question**
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes **Go to 23**
हाँ 23 पर जाएँ

18 Why are you not living with your partner?

आप अपने पार्टनर (सहजीवी) के साथ क्यों नहीं रह रहे/रही हैं?

Partner's illness
आपका पार्टनर बीमार है

Your illness
आप बीमार हैं

Partner in prison
पार्टनर जेल में है

Partner's employment
पार्टनर की नौकरी के कारण

Other **Give details below**
अन्य विवरण नीचे दें

19 Period not living with your partner.

अपने पार्टनर (सहजीवी) के साथ न रहने की अवधि।

From
कब से

To
कब तक

OR **Go to 23**
या अनिश्चित काल तक 23 पर जाएँ

20 Please give the following details about your deceased partner.

कृपया अपने स्वर्गवासी पार्टनर (सहजीवी) के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

Date of death

मृत्यु तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Country where partner died

उस देश का नाम जहाँ पार्टनर का देहांत हुआ था

► **Go to 25**
25 पर जाएँ

21 Do you live in the same home as your former partner?

क्या आप उसी घर में रहते/रहती हैं जहाँ आपका पुराना पार्टनर रहता है?

No
नहीं

Yes
हाँ

22 Please give the following details about your former partner.

कृपया अपने पुराने पार्टनर के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

Full name

पूरा नाम

Date of birth

जन्म तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Date relationship ended

सम्बन्ध समाप्त होने की तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Current address (if known)

वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो तो)

Country
देश

► **Go to 25**
25 पर जाएँ

23 Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with Services Australia?

क्या आप अपने पार्टनर (सहजीवी) को आपकी ओर से Services Australia से पूछताछ करने की अनुमति देते/देती हैं?

You can change this authority at any time.

आप किसी भी समय इस अधिकार को बदल सकते/सकती हैं।

No
नहीं

Yes
हाँ

24 Does your partner give permission for you to make enquiries on their behalf with Services Australia?

क्या आपका पार्टनर आपको अपनी ओर से Services Australia से पूछताछ करने की अनुमति देता है?

No
नहीं

Yes
हाँ

25 Do you live with anyone else, other than members of your family?

क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहते/रहती हैं?

No
नहीं

Yes
हाँ

26 Do you (and/or your partner):

- own your own home,
- have a life interest in your home,

or

are you (and/or your partner):

- buying your own home?

क्या आपका (और/या आपके पार्टनर) का:

- अपना खुद का घर है,
- आपके घर में आजीवन हित है,

या

क्या आप (और/या आपका पार्टनर):

- अपना खुद का घर खरीद रहे/रही हैं?

No
नहीं

Yes
हाँ

27 Do you (and/or your partner) have any dependent children?

क्या आपके (और/या आपके पार्टनर) के कोई आश्रित बच्चे हैं?


A dependent child is a young person under age 16 or a full-time student under age 22 who is in your care and has limited income. A young person cannot be dependent if they are not studying full-time or are earning income.

आश्रित बच्चा/बच्ची 16 साल से कम आयु वाला कोई युवा व्यक्ति या 22 साल से कम आयु वाला कोई फुल-टाइम (पूर्ण-कालिक) छात्र होता है जो आपकी देखरेख में है और जिसकी आय सीमित होती है। वह युवा व्यक्ति जो फुल-टाइम (पूर्ण-कालिक) पढ़ाई नहीं करता है या जो आमदनी कमा रहा है उसे आश्रित नहीं माना जा सकता है।

No **Go to next question**
नहीं अलगे प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**
हाँ नीचे विवरण दें

AND
और

 If any child is in full-time study, you should provide a statement from the educational institution confirming their enrolment.

यदि संतान फुल-टाइम पढ़ाई कर रही है, तो आपको शैक्षिक संस्थान से एक वक्तव्य उपलब्ध कराना चाहिए जो उसके नामांकन की पुष्टि करे।

1 Child's name

संतान का नाम

Date of birth

जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Is the child in full-time study? No Yes
क्या आपकी संतान फुल-टाइम पढ़ाई कर रही है? नहीं हाँ

Does the child live with you? No Yes
क्या आपकी संतान आपके साथ रहती है? नहीं हाँ

Has the child lived in Australia with you OR been an Australian resident? No Yes
क्या संतान आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में रही है या क्या वह ऑस्ट्रेलियाई निवासी थी? नहीं हाँ

27 Continued
जारी है

2 Child's name

संतान का नाम

Date of birth

जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Is the child in full-time study? No Yes
क्या आपकी संतान फुल-टाइम पढ़ाई कर रही है? नहीं हाँ

Does the child live with you? No Yes
क्या आपकी संतान आपके साथ रहती है? नहीं हाँ

Has the child lived in Australia with you OR been an Australian resident? No Yes
क्या संतान आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में रही है या क्या वह ऑस्ट्रेलियाई निवासी थी? नहीं हाँ

3 Child's name

संतान का नाम

Date of birth

जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Is the child in full-time study? No Yes
क्या आपकी संतान फुल-टाइम पढ़ाई कर रही है? नहीं हाँ

Does the child live with you? No Yes
क्या आपकी संतान आपके साथ रहती है? नहीं हाँ

Has the child lived in Australia with you OR been an Australian resident? No Yes
क्या संतान आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में रही है या क्या वह ऑस्ट्रेलियाई निवासी थी? नहीं हाँ

If you have more than 3 children, attach a separate sheet with details.

यदि आपके 3 से अधिक बच्चे हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

Please read this before answering the questions.

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।



To claim an Australian Age pension, a period of permanent Australian residence must be proved.

'Permanent' means you lived in Australia on a long-term basis, with a permanent residence visa or as an Australian citizen. Holidays in Australia are not included. Holidays or short trips outside Australia while you were living in Australia are included as part of your residence in Australia.

A list of suitable documents is shown in the **Notes (PART 1)** for Proof of Identity and Proof of Residence in Australia. If you have no documents to confirm your residence in Australia a benefit may not be granted.

Please attach to your claim certified copies of any documents which verify your residence in Australia.

ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन का क्लेम करने के लिए, परमानेंट (स्थायी) ऑस्ट्रेलियाई निवास की एक समयावधि प्रमाणित की जानी चाहिए।

'परमानेंट (स्थायी)' का अर्थ है कि आपने परमानेंट रेजिडेंट (स्थायी निवासी) वीजे पर या ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के तौर पर दीर्घावधि के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में निवास किया है। ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई छुट्टियाँ इसमें नहीं गिनी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके रहने की अवधि में ऑस्ट्रेलिया के बाहर मनाई गई छुट्टियों या छोटी यात्राओं को ऑस्ट्रेलिया में आपके निवास के भाग के तौर पर शामिल किया जाता है।

उपयुक्त दस्तावेजों की सूची पहचान के प्रमाण और ऑस्ट्रेलिया में निवास के प्रमाण के लिए **टिप्पणियाँ (भाग 1)** में दर्शाई गई है। यदि आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में आपके निवास की पुष्टि करता हो, तो हो सकता है कि आपको बेंनेफिट (लाभ) न दिया जाए।

अपने क्लेम के साथ ऑस्ट्रेलिया में आपके निवास की पुष्टि करने वाले किन्हीं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।

You/आप**28** What is your country of birth?

आपका जन्म किस देश में हुआ था?

29 What are your countries of citizenship or nationality?

आपके पास किन देशों की नागरिकता या राष्ट्रियता है?

Australia ऑस्ट्रेलिया

Date of grant

ग्रांट (अनुदान) किए जाने की दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Other अन्य

Please list all other countries where you have citizenship or nationality.

कृपया अन्य सभी देशों के नाम लिखें जिनकी नागरिकता या राष्ट्रियता आपके पास है।

Your partner/आपका पार्टनर**28** What is your country of birth?

आपका जन्म किस देश में हुआ था?

29 What are your countries of citizenship or nationality?

आपके पास किन देशों की नागरिकता या राष्ट्रियता है?

Australia ऑस्ट्रेलिया

Date of grant

ग्रांट (अनुदान) किए जाने की दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Other अन्य

Please list all other countries where you have citizenship or nationality.

कृपया अन्य सभी देशों के नाम लिखें जिनकी नागरिकता या राष्ट्रियता आपके पास है।

You/आप

30 Have you **EVER** lived or travelled outside Australia, including short trips and holidays?

क्या आप **कभी** ऑस्ट्रेलिया के बाहर रहे/रही हैं या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के बाहर यात्रा की है, इसमें छोटी यात्राएँ और अवकाश शामिल हैं?

This question assists us to verify your Australian residence.

यह प्रश्न आपके ऑस्ट्रेलियाई निवास की पुष्टि करने में हमारी मदद करता है।

No **Go to next question**
नहीं अलग प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**
हाँ नीचे विवरण दें

Year you last departed Australia

ऑस्ट्रेलिया से आपके अंतिम बार प्रस्थान करने का वर्ष

Passport number

पासपोर्ट नम्बर

Country of issue

जारीकर्ता देश

Your partner/आपका पार्टनर

30 Have you **EVER** lived or travelled outside Australia, including short trips and holidays?

क्या आप **कभी** ऑस्ट्रेलिया के बाहर रहे/रही हैं या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के बाहर यात्रा की है, इसमें छोटी यात्राएँ और अवकाश शामिल हैं?

This question assists us to verify your Australian residence.

यह प्रश्न आपके ऑस्ट्रेलियाई निवास की पुष्टि करने में हमारी मदद करता है।

No **Go to next question**
नहीं अलग प्रश्न पर जाएँ

Yes **Give details below**
हाँ नीचे विवरण दें

Year you last departed Australia

ऑस्ट्रेलिया से आपके अंतिम बार प्रस्थान करने का वर्ष

Passport number

पासपोर्ट नम्बर

Country of issue

जारीकर्ता देश

31 Give details of all countries (including Australia) where you have lived since birth.

उन सभी देशों (ऑस्ट्रेलिया सहित) का विवरण दें जहाँ आपने जन्म के बाद से निवास किया है?

'Lived' means where you or your family made your home or spent a long period of time – it does not include places you visited for a holiday.

'रहने' का अर्थ है कि आपने या आपके परिवार ने इसे अपना घर बनाया या लंबा समय यहाँ बिताया – इसमें वे स्थान शामिल नहीं हैं जो जहाँ आप छुट्टी बिताने गए थे।

1 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

2 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

3 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

4 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

If you have lived in more than 4 countries, attach a separate sheet with details.

यदि आप 4 से अधिक देशों में रहे/रही हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

31 Give details of all countries (including Australia) where you have lived since birth.

उन सभी देशों (ऑस्ट्रेलिया सहित) का विवरण दें जहाँ आपने जन्म के बाद से निवास किया है?

'Lived' means where you or your family made your home or spent a long period of time – it does not include places you visited for a holiday.

'रहने' का अर्थ है कि आपने या आपके परिवार ने इसे अपना घर बनाया या लंबा समय यहाँ बिताया – इसमें वे स्थान शामिल नहीं हैं जो जहाँ आप छुट्टी बिताने गए थे।

1 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

2 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

3 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

4 Country

देश

From/कब से

To/कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Time worked in the country

देश में कितनी अवधि के लिए काम किया था

Year/साल / Month/महीना

If you have lived in more than 4 countries, attach a separate sheet with details.

यदि आप 4 से अधिक देशों में रहे/रही हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए अलग पृष्ठ संलग्न करें।

You/आप

32 For each of the arrivals in, and departures from Australia identified in question 33, please provide the following details.

प्रश्न 33 में पहचान किए गए ऑस्ट्रेलिया में हुए प्रत्येक आगमन और ऑस्ट्रेलिया से किए गए प्रत्येक प्रस्थान के लिए, कृपया निम्नलिखित विवरण दें।

Be as accurate as possible, even if you can only remember the year you first arrived in Australia.

जितना संभव हो उतना सही उत्तर दें, भले ही आपको अपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आने का केवल वर्ष ही याद हो।

1 Arrival date आगमन तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of arrival/आगमन का स्थान	
Departure date प्रस्थान तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of departure प्रस्थान करने का स्थान	
Did you have a permanent resident visa for Australia? क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंट (स्थायी निवासी) वीजा था?	
No <input type="checkbox"/> Go to next question नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ	
Yes <input type="checkbox"/> Give details below हाँ विवरण नीचे दें	
Visa subclass वीजा सबक्लास	Date granted ग्रांट (अनुदान) किए जाने की दिनांक
	Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Your partner/आपका पार्टनर

32 For each of the arrivals in, and departures from Australia identified in question 33, please provide the following details.

प्रश्न 33 में पहचान किए गए ऑस्ट्रेलिया में हुए प्रत्येक आगमन और ऑस्ट्रेलिया से किए गए प्रत्येक प्रस्थान के लिए, कृपया निम्नलिखित विवरण दें।

Be as accurate as possible, even if you can only remember the year you first arrived in Australia.

जितना संभव हो उतना सही उत्तर दें, भले ही आपको अपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आने का केवल वर्ष ही याद हो।

1 Arrival date आगमन तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of arrival/आगमन का स्थान	
Departure date प्रस्थान तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of departure प्रस्थान करने का स्थान	
Did you have a permanent resident visa for Australia? क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंट (स्थायी निवासी) वीजा था?	
No <input type="checkbox"/> Go to next question नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ	
Yes <input type="checkbox"/> Give details below हाँ विवरण नीचे दें	
Visa subclass वीजा सबक्लास	Date granted ग्रांट (अनुदान) किए जाने की दिनांक
	Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

32 Continued
जारी है

2 Arrival date आगमन तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of arrival/आगमन का स्थान	
Departure date प्रस्थान तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of departure प्रस्थान करने का स्थान	
Did you have a permanent resident visa for Australia? क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेज़िडेंट (स्थायी निवासी) वीजा था?	
No <input type="checkbox"/> Go to next question नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ	
Yes <input type="checkbox"/> Give details below हाँ विवरण नीचे दें	
Visa subclass वीजा सबक्लास	Date granted ग्रांट (अनुदान) किए जाने की दिनांक
	Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

If you require more space, attach a separate sheet with details.
यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

32 Continued
जारी है

2 Arrival date आगमन तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of arrival/आगमन का स्थान	
Departure date प्रस्थान तिथि	Name of ship or airline समुद्री जहाज या एयरलाइन का नाम
Day/दिन / Month/महीना / Year/साल	
Place of departure प्रस्थान करने का स्थान	
Did you have a permanent resident visa for Australia? क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेज़िडेंट (स्थायी निवासी) वीजा था?	
No <input type="checkbox"/> Go to next question नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ	
Yes <input type="checkbox"/> Give details below हाँ विवरण नीचे दें	
Visa subclass वीजा सबक्लास	Date granted ग्रांट (अनुदान) किए जाने की दिनांक
	Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

If you require more space, attach a separate sheet with details.
यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।

You/आप

- 33** If we are not able to verify your Australian residence we will need to contact people who knew you in Australia.
यदि हम आपके ऑस्ट्रेलियाई निवास की पुष्टि नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन लोगों से संपर्क करने की आवश्यकता होगी जिन्हें आप ऑस्ट्रेलिया में जानते थे/जानती थी।

Give the names, addresses and telephone numbers of 3 people, not related to you, who are currently living in Australia and can confirm your residence in Australia.

उन 3 लोगों के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर बताएँ जो आपसे सम्बन्धित नहीं हैं, और जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपके निवास की पुष्टि कर सकते हैं।

1 Full name
पूरा नाम

Address
पता

Postcode
पोस्टकोड

Contact phone number
संपर्क फोन नम्बर

Area code ()
एरिया कोड

2 Full name
पूरा नाम

Address
पता

Postcode
पोस्टकोड

Contact phone number
संपर्क फोन नम्बर

Area code ()
एरिया कोड

3 Full name
पूरा नाम

Address
पता

Postcode
पोस्टकोड

Contact phone number
संपर्क फोन नम्बर

Area code ()
एरिया कोड

Your partner/आपका पार्टनर

- 33** If we are not able to verify your Australian residence we will need to contact people who knew you in Australia.
यदि हम आपके ऑस्ट्रेलियाई निवास की पुष्टि नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन लोगों से संपर्क करने की आवश्यकता होगी जिन्हें आप ऑस्ट्रेलिया में जानते थे/जानती थी।

Give the names, addresses and telephone numbers of 3 people, not related to you, who are currently living in Australia and can confirm your residence in Australia.

उन 3 लोगों के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर बताएँ जो आपसे सम्बन्धित नहीं हैं, और जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपके निवास की पुष्टि कर सकते हैं।

1 Full name
पूरा नाम

Address
पता

Postcode
पोस्टकोड

Contact phone number
संपर्क फोन नम्बर

Area code ()
एरिया कोड

2 Full name
पूरा नाम

Address
पता

Postcode
पोस्टकोड

Contact phone number
संपर्क फोन नम्बर

Area code ()
एरिया कोड

3 Full name
पूरा नाम

Address
पता

Postcode
पोस्टकोड

Contact phone number
संपर्क फोन नम्बर

Area code ()
एरिया कोड

34 Please read this before answering the questions.

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

If you are granted an Australian pension, your payment will be issued in local currency to your bank account in India every 4 weeks. Please note that payments may be subject to fees levied by your bank, and such fees must be paid by you.

You will need to provide details of a bank account that is capable of receiving direct deposit payments before you can receive any payments.

यदि आपके लिए ऑस्ट्रेलियाई पेंशन स्वीकृत की जाती है, तो आपके भुगतान को प्रत्येक 4 सप्ताहों में आपके भारत-स्थित बैंक खाते में स्थानीय मुद्रा में भेजा जाएगा। कृपया ध्यान दें कि इस भुगतान पर आपकी बैंक द्वारा शुल्क लागू किए जा सकते हैं, और इन सभी शुल्कों का भुगतान आपको करना होगा।

कोई भी भुगतान प्राप्त करने से पहले आपको प्रत्यक्ष जमा भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा।



Please attach a copy of a bank statement or other document that shows your bank details including your account details and the name(s) of the account holder(s).

कृपया बैंक स्टेटमेंट की एक प्रति या कोई दूसरा दस्तावेज़ संलग्न करें जिसमें आपके एकाउंट विवरण और एकाउंट धारक(कों) के नाम(मों) सहित आपके बैंक विवरण दर्शाए गए हों।

You/आप

Name of bank – Write the full name of your bank or other financial institution.

बैंक का नाम – अपनी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान का पूरा नाम लिखें।

Name of bank branch – Write the full name of your bank or other financial institution branch.

बैंक की शाखा का नाम – अपनी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान की शाखा का पूरा नाम लिखें।

Address of bank branch / बैंक की शाखा का पता

Number/Street / नम्बर/स्ट्रीट (गली)

Town/City/Postcode / कस्बा/शहर/पोस्टकोड

Country / देश

INDIA

SWIFT / स्विफ्ट

Indian Financial System Code (IFSC)

भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC)

Account number / एकाउंट नम्बर

Name of account holder – Write the exact name(s) in which your account is held.

एकाउंट धारक का नाम – वह सही नाम लिखें जिसके नाम पर आपका एकाउंट है।

Your partner/आपका पार्टनर

Name of bank – Write the full name of your bank or other financial institution.

बैंक का नाम – अपनी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान का पूरा नाम लिखें।

Name of bank branch – Write the full name of your bank or other financial institution branch.

बैंक की शाखा का नाम – अपनी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान की शाखा का पूरा नाम लिखें।

Address of bank branch / बैंक की शाखा का पता

Number/Street / नम्बर/स्ट्रीट (गली)

Town/City/Postcode / कस्बा/शहर/पोस्टकोड

Country / देश

INDIA

SWIFT / स्विफ्ट

Indian Financial System Code (IFSC)

भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC)

Account number / एकाउंट नम्बर

Name of account holder – Write the exact name(s) in which your account is held.

एकाउंट धारक का नाम – वह सही नाम लिखें जिसके नाम पर आपका एकाउंट है।

Person permitted to enquire

पूछताछ करने के लिए अनुमति प्रदान व्यक्ति का नाम

Please read this before answering the questions.

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

Completing this section allows a person to make enquires ONLY, not to change your personal details or receive payments from Centrelink. If you wish a person to receive payments or change your personal details on your behalf, you will have to complete an **Authorising a person or organisation to enquire or act on your behalf** form (AUS221). This form can be downloaded from servicesaustralia.gov.au/forms or contact Services Australia.

इस अनुभाग को पूरा करने से व्यक्ति को केवल पूछताछ करने का अधिकार मिलता है, आपके व्यक्तिगत विवरण को बदलने या Centrelink से भुगतान प्राप्त करने का नहीं। यदि आप यह चाहते/चाहती हैं कि कोई व्यक्ति आपकी ओर से भुगतान प्राप्त करे या आपके व्यक्तिगत विवरण को बदले, तो आपको **किसी व्यक्ति या संस्था को आपकी ओर से पूछताछ या काम करने का अधिकार देना** फॉर्म (AUS221) पूरा करना होगा। यह फॉर्म वेबसाइट servicesaustralia.gov.au/forms से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर Services Australia से संपर्क करें।

You/आप

35 Do you wish to nominate a person to make enquiries on your behalf with Services Australia?

- You do not have to nominate a person to enquire.
- The person you nominate to enquire on your behalf can be living in Australia.
- You can change this arrangement at any time.

क्या आप अपनी ओर से Services Australia से पूछताछ करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करना चाहते/चाहती हैं?

- यह जरूरी नहीं है कि आप पूछताछ करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करें।
- हो सकता है कि आपकी ओर से पूछताछ करने के लिए नामांकित व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहता हो।
- आप किसी भी समय इस व्यवस्था को बदल सकते/सकती हैं।

No Go to next question
नहीं अगले प्रश्न पर जाएं

Yes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

Person's full name

व्यक्ति का पूरा नाम

Person's date of birth

व्यक्ति की जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

Person's relationship to you

व्यक्ति का आपके साथ सम्बन्ध

Person's address

व्यक्ति का पता

Country देश

Your partner/आपका पार्टनर

35 Do you wish to nominate a person to make enquiries on your behalf with Services Australia?

- You do not have to nominate a person to enquire.
- The person you nominate to enquire on your behalf can be living in Australia.
- You can change this arrangement at any time.

क्या आप अपनी ओर से Services Australia से पूछताछ करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करना चाहते/चाहती हैं?

- यह जरूरी नहीं है कि आप पूछताछ करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करें।
- हो सकता है कि आपकी ओर से पूछताछ करने के लिए नामांकित व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहता हो।
- आप किसी भी समय इस व्यवस्था को बदल सकते/सकती हैं।

No Go to next question
नहीं अगले प्रश्न पर जाएं

Yes Give details below
हाँ विवरण नीचे दें

Person's full name

व्यक्ति का पूरा नाम

Person's date of birth

व्यक्ति की जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

Person's relationship to you

व्यक्ति का आपके साथ सम्बन्ध

Person's address

व्यक्ति का पता

Country देश

You/आप**35 Continued**

जारी है

Person's contact phone number

व्यक्ति का संपर्क फोन नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Person's fax number

व्यक्ति का फैक्स नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Person's email

व्यक्ति की ई-मेल

@

Person's preferred language when dealing with us

हमसे व्यवहार करते समय व्यक्ति की पसंदीदा भाषा

Period of authorisation

अधिकार देने की अवधि

Indefinite **Go to next question**
अनिश्चित काल तक अगले प्रश्न पर जाएँSet Period **Give details below**
निश्चित अवधि विवरण नीचे दें

From

कब से

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

To

कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Your partner/आपका पार्टनर**35 Continued**

जारी है

Person's contact phone number

व्यक्ति का संपर्क फोन नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Person's fax number

व्यक्ति का फैक्स नम्बर

Country () Area code ()
कंट्री एरिया कोड

Person's email

व्यक्ति की ई-मेल

@

Person's preferred language when dealing with us

हमसे व्यवहार करते समय व्यक्ति की पसंदीदा भाषा

Period of authorisation

अधिकार देने की अवधि

Indefinite **Go to next question**
अनिश्चित काल तक अगले प्रश्न पर जाएँSet Period **Give details below**
निश्चित अवधि विवरण नीचे दें

From

कब से

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

To

कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

36 Please read this before answering the question.

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

Age Pension (blind) may be paid if you are legally blind. For our purposes this means that your visual acuity:

- after correction by suitable lenses, is less than 6/60 on the Snellen Scale in both eyes, **OR**
- has a field of vision constricted to 10 degrees or less of arc around central fixation in the better eye irrespective of corrected visual acuity (equivalent to 1/100 white test object), **OR**
- has a combination of visual defects resulting in the same degree of visual impairment as that occurring in the above points.

Age Pension (blind) may be paid at a higher rate than Age Pension, depending on your circumstances.

यदि आप वैध रूप से नेत्रहीन हैं, तो आयु पेंशन (नेत्रहीन) का भुगतान किया जा सकता है। हमारे प्रयोजनों के लिए इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि तीक्ष्णता:

- उचित लेंसों द्वारा संशोधित किए जाने के बाद, दोनों आँखों में स्नेलन स्केल पर 6/60 से कम है, **या**
- का दृष्टि क्षेत्र संशोधित दृष्टि तीक्ष्णता (1/100 सफेद परीक्षण वस्तु के समान) पर ध्यान दिए बिना बेहतर आँख में केन्द्रीय स्थिरीकरण के आसपास 10 डिग्री या इससे कम के वृत्तखण्ड तक संकीर्ण है, **या**
- में अलग-अलग दृष्टि विकार हैं जिसके फलस्वरूप उपरोक्त बिंदुओं में घटित होने वाला समान स्तर का दृष्टि दोष होता है।

आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए आयु पेंशन (नेत्रहीन) का भुगतान आयु पेंशन से उच्च दर पर किया जा सकता है।

Do you (and/or your partner) meet the definition of legal blindness as stated above?

क्या आप (और/या आपका पार्टनर) उपरोक्त अनुसार वैध नेत्रहीनता की परिभाषा को पूरा करते/करती हैं?

No **Go to next question**
नहीं **अगले प्रश्न पर जाएँ**

Yes
हाँ



Please attach an ophthalmologist report confirming that you (and/or your partner) meet the Australian definition of legal blindness as stated above.

कृपया नेत्र-रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट संलग्न करें जो इस बात की पुष्टि करे कि आप (और/या आपका पार्टनर) उपरोक्त वर्णित वैध नेत्रहीनता की ऑस्ट्रेलियाई परिभाषा को पूरा करते/करती हैं।

37 You (and your partner) need to read this

आपको (और आपके पार्टनर को) यह कथन पढ़ने की आवश्यकता है

Privacy and your personal information

The privacy and security of your personal information is important to us, and is protected by law. We need to collect this information so we can process and manage your applications and payments, and provide services to you. We only share your information with other parties where you have agreed, or where the law allows or requires it. For more information, go to servicessaustralia.gov.au/privacy

गोपनीयता और आपकी निजी जानकारी

आपकी निजी जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यह कानून द्वारा संरक्षित है। हमें यह जानकारी एकत्रित करने की जरूरत है ताकि हम आपके आवेदनों एवं भुगतानों को प्रोसेस और प्रबंधित कर सकें, और आपको सेवाएँ प्रदान कर सकें। हम केवल उस परिस्थिति में अन्य पक्षों के साथ आपकी जानकारी साझा करते हैं जहाँ आपने ऐसा करने की सहमति दी होती है, या जहाँ कानून ऐसा करने की अनुमति देता है या आवश्यक बनाता है। और अधिक जानकारी के लिए, servicessaustralia.gov.au/privacy वेबसाइट देखें।

38 Statement**I declare that:**

- I have read and I understand the 'Your rights' and 'Your obligations' sections in the Notes (PART 1) of this claim.
- the information I have provided on this form is correct.

I authorise:

- Centrelink to make enquiries necessary to establish my correct entitlement to pension or allowance.
- the Indian Employees' Provident Fund Organisation to release any information or evidence in its possession which relates or could relate to my application for pension.

I understand that:

- I must return all supporting documents at the same time as I lodge my claim form. If I do not return all documents, my claim may not be accepted. The only exceptions will be if I am waiting for medical evidence or statements and other forms from a third party.
- giving false or misleading information is a serious offence.

बयान**मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि:**

- मैंने इस क्लेम की टिप्पणियों (भाग 1) में 'आपके अधिकार' और 'आपके दायित्व' अनुभाग पढ़ और समझ लिए हैं।
- मेरे द्वारा इस फॉर्म में प्रदान की गई सूचना सही है।

मैं यह अधिकार देता/देती हूँ कि:

- पेंशन या भत्ते के लिए मेरी सही पात्रता स्थापित करने हेतु Centrelink जरूरी पूछताछ कर सकता है।
- भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संस्था अपने पास रखी कोई ऐसी सूचना या ऐसा प्रमाण जारी कर सकती है जो पेंशन के लिए मेरे आवेदन से सम्बन्धित हो या सम्बन्धित हो सकता हो।

मैं समझता हूँ कि:

- मुझे सभी सहायक दस्तावेज एक साथ उसी समय वापिस करने चाहिए जब मैं अपना क्लेम फॉर्म जमा कराता/कराती हूँ। यदि मैं सभी दस्तावेज वापिस नहीं करता/करती हूँ, तो हो सकता है कि मेरा क्लेम फॉर्म स्वीकार न किया जाए। ऐसी स्थिति में छूट केवल तभी मिलेगी यदि मैं किसी तृतीय पक्ष से चिकित्सीय प्रमाण या वक्तव्यों तथा अन्य फॉर्मों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
- झूठी या भ्रामक जानकारी देना एक गंभीर अपराध है।

Your signature

आपके हस्ताक्षर


Date

दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

Your partner's signature

आपके पार्टनर (सहजीवी) के हस्ताक्षर


Date

दिनांक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

For instructions about what to do now, go to next page ►**अब क्या करना चाहिए इससे सम्बन्धित निर्देशों के लिए,
अगले पृष्ठ पर जाएँ**

What to do now

अब क्या करें

1 Keep the *Notes for claiming Australian Age Pension (PART 1)* for your future reference.

2 Returning your form

Check that all required questions are answered and that **all** forms are signed and dated.

Important Note: You must return **all** forms and **all** supporting documents and lodge them together. If you do not return all documents, your claim may not be accepted. The only exceptions will be if you are waiting for medical evidence or statements and other forms from a third party.

You can return forms and any supporting documents:

In person/by post – to the Indian Employees' Provident Fund Organisation.

The Indian Employees' Provident Fund Organisation will copy original documents for you and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim forms, please ensure you keep a copy, not the original. The Indian Employees' Provident Fund Organisation will forward all forms and supporting documentation to Services Australia.

Online – submit your documents online (excluding identity documents). For more information about how to access an Online Account or how to lodge documents online, go to

servicesaustralia.gov.au/submitdocumentsonline

By post – return your documents by sending them to:

**Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
Australia**

If you send original documents to us, we will make copies and return the original documents to you.

While you can lodge your form direct with us, lodging with your local Indian Employees' Provident Fund Organisation will normally make it easier and faster for you to receive a decision on your claim.

If you need advice call us direct (free of charge) on **000 800 61 01098** or on **+61 3 6222 3455**.

1 भविष्य में अपने संदर्भ के लिए *ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन (भाग 1)* का क्लेम करने के लिए *टिप्पणियाँ* संभाल कर रखें।

2 अपना फॉर्म वापिस भेजना:

जांच करें कि सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं और **सभी** फॉर्मों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और दिनांक डाली गई है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: आपको **सभी** फॉर्म और **सभी** सहायक दस्तावेज़ वापिस भेजने चाहिए और इन्हें एक साथ जमा कराना चाहिए। यदि आप सभी दस्तावेज़ वापिस नहीं करते/करती हैं, तो हो सकता है कि आपका क्लेम स्वीकार न किया जाए। ऐसी स्थिति में छूट केवल तभी मिलेगी यदि आप किसी तृतीय पक्ष से चिकित्सीय प्रमाण या वक्तव्यों तथा अन्य फॉर्मों की प्रतीक्षा कर रहे हों।

आप फॉर्म और कोई सहायक दस्तावेज़ वापिस भेज सकते हैं।

खुद आकर/डाक से – भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) को भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) संस्था आपके लिए मूल दस्तावेज़ों की प्रति बनाएगी और इन्हें आपको वापस भेजेगी। क्लेम फॉर्म की प्रति तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्लेम फॉर्म की प्रति तैयार करते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसकी प्रति अपने पास रखते हैं, न कि मूल क्लेम फॉर्म। भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) संस्था सभी फॉर्मों और समर्थन हेतु दस्तावेज़ों को Services Australia के पास अग्रेषित करेगी।

ऑनलाइन – अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा कराएँ (पहचान संबंधी दस्तावेज़ों को छोड़कर)। ऑनलाइन एकाउंट कैसे ऐक्सेस करें या दस्तावेज़ ऑनलाइन कैसे जमा कराएँ, इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए **servicesaustralia.gov.au/submitdocumentsonline** देखें।

डाक द्वारा – अपने दस्तावेज़ निम्नलिखित पते पर डाक से भेजें:

**Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
Australia**

यदि आप हमें मूल दस्तावेज़ भेजते हैं, तो हम इनकी प्रतियाँ तैयार करके मूल दस्तावेज़ आपको वापिस भेज देंगे।

हालाँकि आप अपना फॉर्म सीधे हमें जमा करा सकते/सकती हैं, पर इसे अपने स्थानीय भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) के साथ जमा कराने से सामान्यतः आपके लिए अपने क्लेम पर निर्णय प्राप्त करना अधिक आसान और शीघ्र बन जाएगा।

यदि आपको परामर्श चाहिए, तो हमें सीधे (बिना किसी शुल्क के) **000 800 61 01098** या **+61 3 6222 3455** पर फोन करें।